अध्याय–18

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली–पीडीएस सरकार प्रायोजित दुकानों की श्रृंखला है जिसे समाज के वंचित वर्गों को सस्ती कीमतों पर बुनियादी खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं के वितरण का दायित्व सौंपा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दिल्ली में इस प्रणाली की स्थापना खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत की गई है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा–(एनएफएस) अधिनियम 2013 लागू किए जाने के तुरंत बाद दिल्ली पहली सितम्बर 2013 से इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य था।

1.2 दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राशन कार्ड धारक को गेहूं और चावल वितरित करती है और चीनी का वितरण केवल अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों को किया जाता है। लाभार्थियों की शिकायतों के समय से और प्रभावी ढंग से निपटान के लिए सरकार ने दिल्ली लोक शिकायत आयोग को राज्य खाद्य आयोग के रूप में मनोनीत किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने पीडीएस को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधार उपाए किए हैं जैसे लाभार्थियों को एसएमएस अलर्ट जारी करना और लोगों की शिकायतें दर्ज करने के लिए हेल्प लाइन नंबर शुरू करना। ये नम्बर हैं – 1967 और 1800–110–841

2. दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति

2.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सार्वजनिक वितरण नेटवर्क में उचित मूल्य की करीब 2000 दुकानें (एफपीएस)आती हैं। इनके माध्यम से 31 मार्च 2021 तक 17.77 लाख डिजिटल खाद्य सुरक्षा कार्डों के माध्यम से 72.77 लाख लोगों तक सेवा पहुंचाई गई है। यह खाद्य सुरक्षा राशनकार्ड आधार से जुड़े हैं। किसी भी पीडीएस के सामने परिवारों की सही पहचान तथा त्रुटिहीन आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कार्य विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनिवार्यता के तहत समय–समय पर लाभार्थियों से संबंधित डेटा की पुष्टि करता है। पिछले नौ वर्षों में दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए राशन कार्डों की कुल संख्या विवरण 18.1 में दी गई है।

विवरण 18.1

दिल्ली में 2012-13 से 2020-21 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विवरण

क्र. संख्या	वर्ष	राशन कार्डों की संख्या (लाख में)	उचित दर दुकानों (एफपीएस) की संख्या	मिट्टी के तेल की लाइसेंसशुदा दुकानें
1	2012-13	34.35	2479	1829
2	2013-14	17.79	2396	
3	2014-15	17.00	2310	
4	2015-16	19.50	2283	
5	2016-17	19.41	2254	
6	2017-18	19.41	2210	
7	2018-19	17.17	2057	
8	2019-20	17.50	2029	
9	2020-21	17.77	2000	

2.2 31 मार्च 2021 तक दिल्ली में उचित मूल्य के दुकानों की संख्या 2020 है और औसत आधार पर प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों के तहत लगभग 889 राशन कार्ड हैं। राशन कार्डों और उचित मूल्य की दुकानों का जिलावार ब्यौरा विवरणी 18.2 में दिया गया है।

विवरण–18.2

वर्ष 2020–21 में दिल्ली में जिलावार सार्वजनिक वितरण प्रणाली

क्र. सं	ज़िले	राशन कार्ड	प्रतिशत	एफपीएस (उचित दर दुकानें)	प्रतिशत	सदस्य	प्रतिशत
1	मध्य	133370	7.50%	132	6.60%	522183	7.17%
2	पूर्वी	162387	9.13%	208	10.40%	674331	9.27%
3	नई दिल्ली	84175	4.73%	99	4.95%	337594	4.64%
4	उत्तरी	160954	9.05%	151	7.55%	634752	8.72%
5	उत्तर–पूर्वी	278501	15.67%	316	15.80%	1176947	16.17%
6	उत्तर–पश्चिमी	311164	17.50%	303	15.15%	1285614	17.66%
7	दक्षिण	219238	12.33%	254	12.70%	920417	12.65%
8	दक्षिण–पश्चिमी	236285	13.29%	299	14.95%	948647	13.03%
9	पश्चिमी	191681	10.78%	238	11.90%	777510	10.68%
कुल		**1777755**	**100 %**	**2000**	**100 %**	**7277995**	**100 %**

2.3 उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि उत्तर–पश्चिम ज़िले में राशनकार्ड धारकों की सर्वाधिक संख्या 2020–21 में रिपोर्ट की गई जबकि उचित दर दुकानों की सर्वाधिक संख्या उत्तर–पूर्वी जिले में से रिपोर्ट की गई।

3. **लाभार्थियों की पात्रता** : लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए विवरण 18.3 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के तहत पात्र हैं।

विवरण – 18.3

प्रतिमाह लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न प्राप्ति पात्रता और दर

क्र. सं.	जिंस	श्रेणी	मात्रा	दर/किलोग्राम
1	गेहूं	अं.अ.यो	25 कि.ग्रा./कार्ड	2.00
		प्रा.प	4 कि.ग्रा./सदस्य	
2	चावल	अं.अ.यो	10 कि.ग्रा./कार्ड	3.00
		प्रा.प	1 कि.ग्रा./सदस्य	
3	चीनी	अं.अ.यो	1 कि.ग्रा./कार्ड	13.50

नोट : एएवाई–अंत्योदय अन्न योजना, पीआर– प्राथमिकता परिवार श्रेणी।

4. 2019–20 और 2020–21 के दौरान दिल्ली में आवंटित खाद्यान्न और चीनी की मात्रा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इन्हें उपलब्ध कराए जाने से संबंधित जानकारी विवरण 18.4 में दी गई है।

विवरण – 18.4

वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान दिल्ली में पीडीएस के माध्यम से वितरित अनाज और चीनी

क्र. सं.	विवरण	मद					
		चावल (एनएफएस)		गेहूं (एनएफएस)		चीनी (एनएफएस के अलावा)	
		2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
1	आबंटित मात्रा	88.34	91.20	341.26	352.49	0.78	0.82
2	वितरण के लिए ली गई मात्रा	88.34	90.95	341.26	351.51	0.78	0.80
3	वितरित मात्रा का प्रतिशत	99.99	99.74	99.99	99.74	97.30	98.43

5. **अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)** देश की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी में निर्धनतम लोगों को भूख से मुक्ति दिलाने की दिशा में टीपीडीएस को सक्षम बनाने के लिए उठाया गया कदम है। टीपीडीएस को अधिक प्रभावी और इस श्रेणी के लोगों तक लक्षित बनाने के उद्देश्य से 'अंत्योदय अन्न योजना' की शुरूआत दिसंबर 2000 में उन गरीब परिवारों के लिए की गई जिन्हें वर्ष भर नियमित रूप से दो जून का भोजन नहीं मिल पाता और जिनकी क्रय शक्ति इतनी कम है कि वे खाद्यान्न खरीद पाने में सक्षम नहीं हैं। योजना के तहत भूख से जूझ रहे निर्धनतम लोगों को 35

किलोग्राम खाद्यान्न (25 किलोग्राम गेहूं और 10 किलोग्राम चावल) प्रति माह, 2 रुपए किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो ग्राम की दर से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। 31 मार्च 2021 तक 68,729 परिवारों के 2,81,039 सदस्य दिल्ली में इस योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं।

6. कल्याणकारी संस्थाओं/छात्रावास योजना के लिए बीपीएल दरों पर खाद्यान्न

भारत सरकार की योजना के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सरकारी कल्याणकारी संस्थाओं तथा बाल निकेतन जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावासों, बालिका गृह, महिलाओं के लिए लघु अवधि आश्रय गृह, विधवा आश्रम, महिलाओं के लिए देखभाल गृह और नारी निकेतन में रह रहे वंचित लोगों को बीपीएल दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। 31 मार्च 2021 तक इन संस्थानों में 232 लोग थे। भारत सरकार से प्राप्त आवंटन के अनुसार इन कल्याणकारी संस्थानों और छात्रावासों के लिए रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराए गए।

7. केरोसिन मुक्त शहर – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रसोई गैस कनेक्शन

सरकार ने वर्ष 2012–13 में दिल्ली को केरोसिन मुक्त शहर बनाने का फैसला किया। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने केरोसिन तेल का इस्तेमाल करने वाले राशन कार्ड धारकों को दो बर्नर वाले चूल्हे और एलपीजी भरे सिलेंडर के साथ निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए। यह योजना 21–08–2012 को शुरू की गई थी। ई–पीडीएस डेटाबेस के अनुसार दिल्ली में केरोसिन तेल का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 3,56,395 थी। सितंबर 2013 में यह योजना बंद कर दी गई और अक्तूबर 2013 में दिल्ली को 'केरोसिन मुक्त शहर' घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पीडीएस के तहत केरोसिन का वितरण रोक दिया गया है।

8. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा टीडीपीएस में प्रोद्योगिक आधारित सुधार

i) उचित मूल्य की दुकानों को राशन आवंटन के बारे में एसएमएस अलर्ट

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कंप्यूटरीकरण के लिए दिल्ली राज्य आपूर्ति निगम में निर्दिष्ट खाद्य वस्तु ऑफटेक मॉड्यूल लागू किया गया है। क्षेत्र के माननीय विधायक की अध्यक्षता में सतर्कता समिति, संबंधित एफएसओ, निरीक्षक और राशनकार्ड धारकों, जिन्होंने वेबसाईट में अपने मोबाईल नंबर पंजीकृत किए हैं, को गोदाम से निर्दिष्ट खाद्य वस्तुएं जारी करने के बारे में एसएमएस अलर्ट भेजा जा रहा है। कोई भी राशनकार्ड धारक www.nfs.delhigovt.nic.in से संबधित एफपीएस के बारे में एसएमएस प्राप्त कर सकता है।

ii) ई–राशन कार्ड

ई–राशन कार्ड की सुविधा अप्रैल 2015 से शुरू की गई है। लगभग 16,99,740 राशन कार्ड धारक अपने संबंधित स्थानों से राशनकार्ड डाउनलोड करके लाभ उठा चुके हैं। इससे पारदर्शिता बढी है और लाभार्थियों तक राशन कार्ड सुविधा पहुंचाने में मदद मिली है।

9. पहल

9.1 पहल योजना पहले 1 जून 2013 को शुरू की गई थी। इसमें रसोई गैस सब्सिडी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता के पास आधार नंबर होना अनिवार्य था। उपभोक्ताओं की दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने इसे संशोधित कर इसे 15–11–2014 को फिर से लागू किया।

9.2 संशोधित पहल कार्यक्रम के तहत रसोई गैस उपभोक्ता दो तरीकों से अपने बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उपभोक्ता को सीटीसी (कैश ट्रांसफर कम्पलिएंट) कहा जाता है और इसके साथ ही वह बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाता है। ये विकल्प इस प्रकार हैं:

- विकल्प–1 (प्राथमिक): जहां आधार संख्या उपलब्ध हो, उसे नकदी हस्तांतरण का माध्यम बनाया जाता है। इस तरह जिस उपभोक्ता के पास आधार संख्या हो, वह आधार संख्या को एलपीजी उपभोक्ता संख्या और बैंक खाते के साथ जोड़ सकता है।
- विकल्प–2 (द्वीतीयक) : यदि एलपीजी उपभोक्ता के पास आधार संख्या नहीं है, तो वह आधार संख्या का इस्तेमाल किए बिना बैंक खाते में सीधे सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। इस विकल्प को संशोधित योजना से शुरू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आधार संख्या के अभाव में कोई भी एलपीजी उपभोक्ता बैंक खाते में सब्सिडी से वंचित न हो।

31 मार्च 2021 को दिल्ली में पहल की स्थिति

रसोई गैस उपभोक्ताओं की कुल संख्या	50,53,020
पहल लाभार्थियों (सीटीसी उपभोक्ताओं) की कुल संख्या	42,16,344
आधार एटीसी (संख्या) से जुड़े पहल लाभार्थियों की कुल संख्या	39,41,871
आधार एटीसी (प्रतिशत) से जुड़े पहल लाभार्थियों की कुल संख्या	78%

10. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

कोविड–19 महामारी के दौरान अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक पीडीएस लाभार्थियों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिमाह अतिरिक्त पांच किलोग्राम खाद्यान्न (चार किलोग्राम गेहूं और एक किलोग्राम चावल) प्रति लाभार्थी सदस्य और एक किलोग्राम दाल प्रतिमाह प्रति परिवार, भारत सरकार द्वारा सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निशुल्क उपलब्ध कराया गया। योजना के तहत अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 की अवधि में 99.79% खाद्यान्न और 99.19% दालें लाभार्थियों में वितरित की गईं।

11. मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना (गैर पीडीएस योजना)

कोविड 19 का फैलाव रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण लागू प्रतिबंधों के असर और लोगों की आजीविका खोने को देखते हुए, प्रभावित लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिल्ली में कोई भी भूख से पीड़ित न रहे, एक विशेष खाद्य राहत पहल–मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की शुरूआत की गई, जिसके तहत सभी जरूरतमंद लोगों और जिनके पास राशनकार्ड नहीं था, उन्हें सूखा राशन उपलब्ध कराने का प्रावधान था। इसके

अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्दिष्ट सहायता के समान पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभार्थी, चार किलोग्राम गेहूं और एक किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत लगभग 63.63 लाख लाभार्थियों को 2,52,61,391 किलोग्राम गेहूं और 63,63,118 किलोग्राम चावल वितरित किया गया।

मुसीबतजदा लोगों की आर्थिक कठिनाइयां दूर करने के उद्देश्य से मई 2020–21 (चरण–2) के दौरान प्रत्येक परिवार को, पीडीएस के तहत आने वाले या गैर पीडीएस परिवार दोनों को, 'आवश्यक वस्तुओं की किट' उपलब्ध कराई गई ताकि परिवार साफ, स्वच्छ और स्वास्थ्यकर भोजन बना सके। इस किट में एक किलोग्राम रिफईंड तेल, एक किलोग्राम चीनी, एक किलोग्राम नमक, एक किलोग्राम छोला चना, 200 ग्राम मिर्च पाउडर, 200 ग्राम धनिया पाउडर, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और दो साबुन की टीकिया सहित आठ वस्तुएं थी। दिल्ली के प्रत्येक माननीय सांसद/विधायक को 2000 लाभार्थी की दर से आपात सहायता कूपन भी दिए गए।

12. यौन कर्मियों को सूखे राशन का वितरण

आपराधिक अपील संख्या (एस) 135/2010 बुद्धदेव कर्मकार बनाम पश्चिम बंगाल सरकार तथा अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.09.2020 के निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनओसीओ) में साथ पंजीकृत यौन कर्मियों को गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से गैर पीडीएस योजना (मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना) के तहत सूखा राशन, चार किलोग्राम गेहूं और एक किलोग्राम चावल प्रति यौन कर्मी निशुल्क उपलब्ध कराया गया। पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से 64,219 किलोग्राम गेहूं और 15,795 किलोग्राम चावल पंजीकृत यौन–कर्मियों में मुफ्त वितरित किया गया और इस काम में विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों की मदद भी ली गई।

13. मार्केट इंटेलीजेंस सैल (एम–आई सैल)

खाद्य और आपूर्ति विभाग का मार्केट इंटेलीजेंस सैल चार निर्धारित बाजारों– युसुफ सराय (उच्च मूल्य), घंटाघर (मध्यम मूल्य), शाहदरा (कम मूल्य) और नया बाजार के थोक मार्केट से 23 आवश्यक वस्तुओं की कीमतें मोबाइल ऐप से लेकर उन्हें ज्यो–टैग करके भारत सरकार, माननीय उपराज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, जीएनसीटीडी के मंत्रियों और उच्च अधिकारियों तक भेजता है। साथ ही, आज़ादपुर मंडी के कृषि प्रक्रिया मार्केटिंग बोर्ड (एपीएमसी) से फल–सब्जियों के मूल्य प्राप्त करके उनकी दैनिक, साप्ताहिक और मासिक रिपोर्ट एजेंसियों को भेजी जाती है। परंतु आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण में इस शाखा की कोई भूमिका नहीं है।

14. एक देश एक राशन काड

राष्ट्रीय नीति के अनुरूप दिल्ली सरकार ने दिनांक 15.07.2021 के मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 3014 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ई–पीओएस तथा एक देश एक राशन कार्ड योजना जुलाई, 2021 से शुरू कर दी है। इस योजना से अन्य राज्यों के 4.48 लाख लाभार्थियों ने भी दिसम्बर, 2021 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राशन सुविधा का लाभ प्राप्त किया।